भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3685

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च , 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

शहरी अवसंरचना विकास निधि

3685. एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और देश में इसका राज्यवार कितना उपयोग किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूरी की गई शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) निधि संवितरण और परियोजना कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और सरकार किस प्रकार उनका समाधान करने की योजना बना रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)**:** शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आरंभिक कॉर्पस के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई थी। तथापि, ग्रामीण ऋण के लिए निधि की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबंटित यूआईडीएफ में से 7,000 करोड़ रुपए अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि (एसटीसीआरसीएफ) को पुनर्आबंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नए आबंटन के माध्यम से पुनर्आबंटित राशि की यूआईडीएफ में पुनर्पूर्ति की जाएगी।

दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, यूआईडीएफ के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाओं की राशि और स्वीकृत ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): एनएचबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.2.2025 की स्थिति के अनुसार, 730 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से यूआईडीएफ के अंतर्गत 3 पूरी हो गई हैं।

(ग): यूआईडीएफ की समीक्षा और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कुछेक अभिचिह्नित चुनौतियां और उनके समाधान निम्नानुसार हैं:-

i) परियोजना की प्रस्तुति और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सहज और दक्ष बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के 50 करोड़ रुपए तक के यूआईडीएफ ऋण और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं के 20 करोड़ रुपए तक के यूआईडीएफ ऋण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के स्थान पर निविदा दस्तावेज़, विस्तृत कार्य-आदेश आदि जैसे वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

ii) परिचालन दक्षता बढ़ाने और यूआईडीएफ के अंतर्गत प्रस्तावों की प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) को युक्तिसंगत बनाया गया है।

iii) निधि के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से आवास, विद्युत/दूरसंचार और शहरी परिवहन को छोड़कर सभी शहरी अवसंरचना संबंधी कार्यकलापों को कवर करने के लिए यूआईडीएफ के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को बढ़ाया गया है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के विनिर्दिष्ट पड़ाव पूरे करने के आधार पर चरणबद्ध रूप में संवितरण किया जाता है।

*****

उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध-I

(राशि करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त परियोजनाओं की राशि	स्वीकृत ऋण राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
2	आंध्र प्रदेश	422.36	422.36
3	अरुणाचल प्रदेश	0.95	0.95
4	असम	323.87	321.26
5	बिहार	105.71	105.41
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	456.92	440.46
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	-
9	गोवा	11.67	11.67
10	गुजरात	445.53	310.04
11	हरियाणा	298.76	197.26
12	हिमाचल प्रदेश	29.45	28.8
13	जम्मू और कश्मीर	8.27	8.27
14	झारखंड	5	5
15	कर्नाटक	919.83	706.72
16	केरल	135.78	131.9
17	मध्य प्रदेश	412.68	108.77
18	महाराष्ट्र	1,164.56	1,131.17
19	मणिपुर	21.34	21.34
20	मेघालय	39.02	39.02
21	मिजोरम	-	-
22	नागालैंड	-	-
23	ओडिशा	-	-
24	पुडुचेरी	16.29	16.29
25	पंजाब	252.37	205.33
26	राजस्थान	1,096.88	892.54
27	सिक्किम	20.9	16.06
28	तमिलनाडु	886.36	847.01
29	तेलंगाना	1,715.56	1,635.10
30	त्रिपुरा	101.58	75.56
31	उत्तर प्रदेश	-	-
32	उत्तराखंड	58.72	58.72
33	पश्चिम बंगाल	-	-
	कुल	**8,950.36**	**7,737.01**

(स्रोत: एनएचबी)

*****